

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

श्री जयंतिलाल भट्ट, व्याख्याता (वाणिज्य), रा.नू.उ.मा.वि-बांसवाड़ा जन्मतिथि: 20.09.1961 दिनांक: 30.07.18 से 04.12.2018(127 दिवस) तक निजी कारणों से विदेश यात्रा पर रहे, जिनकी दिनांक: 30.07.18 से 12.09.2018 तक 45 दिवस की कार्योत्तर स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्यक्षीन प्रदान की जाती है। शेष अवधि के अवकाश का निस्तारण नियमानुसार स्वीकृत करवाये जाने हेतु कार्यवाही अमल में लाई जावे।

1 सक्षम अधिकारी स्तर से नियमानुसार विदेश यात्रा प्रकरण में निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर ली जावे:-

i कार्मिक के अवकाश अवधि में कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं हुआ।

ii कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया।

iii कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं थी।

iv कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विचाराधीन नहीं थी

2 विदेश यात्रा की कार्योत्तर स्वीकृति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।

3 विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व संबंधित कार्यालय को विदेश प्रवास में उठरने का पूर्ण पता मय मोबाईल नंबर आदि सूचित किया गया।

4 विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनियम नहीं किया है एवं न ही राजकीय स्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई गई।

5 विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया गया।

6 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की।

7 विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की।

(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक- 25/7/19

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/सी-2/विदेश अनुज्ञा/इति-वाणि/19-20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
- 3 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा
- 4 संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक
- 5 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,

बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

विधा भवन कृषि विज्ञान केन्द्र (ICAR) बडगांव उदयपुर में विषय **MATTER SPECIALIST** (गृह विज्ञान) टी-6 के पद पर चयनित होने पर निम्नांकित कार्मिक को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश की पालना में इस विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है। संस्था प्रधान को आदेशित किया जाता है कि संबंधित कार्मिक को स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त करें।

क्र.स.	नाम कार्मिक मय वर्तमान पदस्थापन स्थान	विषय	जन्म तिथि	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक
1	डॉ. शहराज परवीन राबाउमावि फतेहपुर बांरा	गृह विज्ञान	07.06.86	VBJVK / 2019-20 / 616-622 दिनांक 01.07.19

इनका इस विभाग में नियमानुसार लियन रहेगा।



(नथमल डिडेल)


आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/अन्यत्र विभाग/2018-19 दिनांक 25/07/19

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) कोटा
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) बांरा
3. संबंधित संस्था प्रधानाचार्य राबाउमावि फतेहपुर बांरा
4. संबंधित कार्मिक डॉ. शहराज परवीन व्या0 गृह विज्ञान, बा. फतेहपुर बांरा
5. अनुभाग अधिकारी एबी अनुभाग/ओएसी/वरिष्ठता अनुभाग
6. रक्षित/निजी पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर